सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :– 39 / 2014

वादीगण

1. रमजीराम पुत्र श्री नारायणराम
2. अमराराम पुत्र श्री नारायणराम
3. जालाराम पुत्र श्री नारायणराम
4. तेजाराम पुत्र श्री नारायणराम
5. प्रतापराम पुत्र श्री नारायणराम
6. श्रीमति गैरीदेवी बेवा नारायणराम
   सभी जातियान पटेल निवासीगण
   पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओगड़राम पुत्र श्री गुणेशराम
2. पप्पूराम पुत्र श्री पूनाराम
3. चैनाराम पुत्र पूनाराम
   सभी जातियान पटेल
   निवासीगण पटेलनगर, तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 24.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम पटेलनगर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सम्मन पर्याप्त रूपये तामिल नही हुए है जिसके लिये वादी को तारीख पेशी 31.8.2016 को पुनः सम्मन पेश करने के आदेश दिये गये फिर भी वादी अधिवक्ता ने नियमानुसार सात दिवस के भीतर भीतर सम्मन पेश करने के न्यायालय आदेश की पालना नही की है। अतः वादी का दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। वाद फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा